

संघ

क. संघ - परिभाषा:

कंसोर्टियम एबी/ए के रूप में मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्थाओं का एक संघ है जो विशेष रूप से अपने संसाधनों और विशेषज्ञता को पूल करके कौशल विकास गतिविधियों को निष्पादित करता है।

इस मामले में संस्थाओं को व्यक्तिगत रूप से 'कानूनी स्थिति' धारण करनी चाहिए जैसा कि 'पुरस्कार देने वाले निकायों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश' की धारा 3.9 के पैरा 1 में परिभाषित किया गया है।

ख. गठन:

कंसोर्टियम को विशेष रूप से बिना किसी अन्य अधिदेश के एबी/ए बनने के उद्देश्य से स्थापित किया जाना चाहिए। कंसोर्टियम के सदस्य मान्यता के लिए आवेदन करने और जमा करने के उद्देश्य से एक बाध्यकारी अनुबंध ("कंसोर्टियम समझौता") को अमल में लाएँगे। कंसोर्टियम समझौता, अन्य बातों के साथ-साथ:

- i. इन दिशानिर्देशों के अनुसार शेयरहोल्डिंग/इक्विटी प्रतिबद्धता (ओं) के साथ एक एसपीवी बनाने के इरादे से आगे बढ़ने का समझौता करेगा और बाद में यदि मान्यता प्रदान की जाती है तो संघ समझौते की शर्तों के अनुसार सभी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा ।
- ii. विशेष रूप से वित्तीय, तकनीकी और संचालन तथा रखरखाव दायित्वों के संदर्भ में प्रत्येक सदस्य की प्रस्तावित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करें।
- iii. संकल्प लेगा कि मान्यता की अवधि के लिए कंसोर्टियम के सदस्य सामूहिक रूप से एसपीवी की इक्विटी का 100% (एक सौ प्रतिशत) हिस्सा रखेंगे।
- iv. प्रत्येक सदस्य के पास न्यूनतम इक्विटी हिस्सेदारी (10%) रखने का वचन देगा ।
- v. वचनबद्धता देगा कि प्रत्येक सदस्य, जिनके अनुभव का मूल्यांकन योग्यता निर्धारित करने के उद्देश्य से किया जाएगा, एसपीवी की इक्विटी के 26% (छब्बीस प्रतिशत) या अधिक की सदस्यता लेंगे और आगे यह प्रतिबद्धता करेंगे कि ऐसा प्रत्येक सदस्य इस अवधि के दौरान टर्म, एसपीवी की इक्विटी शेयर पूंजी का कम से कम 26% (छब्बीस प्रतिशत) इक्विटी शेयर पूंजी धारण करेगा ।

vi. इस आशय का एक विवरण शामिल करेगा कि संघ के सभी सदस्य, मान्यता की पूरी अवधि के लिए, एसपीवी द्वारा निष्पादित गतिविधियों के संबंध में सभी दायित्वों के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे।

vii. एनसीवीईटी की पूर्व लिखित सहमति के बिना कंसोर्टियम समझौते में कोई संशोधन नहीं होगा।

ग. आवेदन प्रक्रिया:

i. एक स्पष्ट रूप से चिन्हित किए गए लीड पार्टनर वाला कंसोर्टियम इस दस्तावेज़ के खंड 2 में सूचीबद्ध प्रारूप में आवेदन कर सकता है। आवेदन के साथ पैरा 1 ख में वर्णित एक सुपरिभाषित कंसोर्टियम समझौता भी प्रस्तुत किया जाएगा।

ii. पुरस्कार देने वाली संस्थाओं/मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता और नियमन के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा किया जाने वाला पात्रता मानदंड नीचे दिया गया है:

क. कानूनी: कंसोर्टियम समझौते के साथ कंसोर्टियम के मामले में सभी सदस्यों द्वारा विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

ख. 'पूर्व अनुभव' और 'वित्तीय आवश्यकताएं' सहित अन्य सभी मानदंड: अन्य सभी मानदंडों के लिए उन भागीदारों की संयुक्त शक्ति स्वीकार्य है, जो एसपीवी में व्यक्तिगत रूप से कुल इक्विटी का कम से कम 26% (छब्बीस प्रतिशत) हिस्सा रखने का इरादा रखते हैं।

iii. कंसोर्टियम के सदस्य आवेदन और मान्यता प्रक्रिया की सभी गतिविधियों के संबंध में कंसोर्टियम का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से एक सदस्य को 'लीड सदस्य' के रूप में नामित करेंगे। नामांकन का समर्थन कंसोर्टियम के अन्य सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा किया जाएगा।

iv. प्रमुख सदस्य की मुख्य भूमिका और जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:

क. एसपीवी की इक्विटी का कम से कम 26% (छब्बीस प्रतिशत) अंशदान और धारण करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए

ख. एबी मान्यता दिशानिर्देशों में यथा परिभाषित के अनुसार व्यवसाय में होना चाहिए यानि एबी के मामले में कम से कम 5 साल की अवधि के लिए और एए के मामले में 3 साल की अवधि के लिए इकाई के संचालन के बीच 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। (दिशानिर्देशों के अनुसार छूट)

ग. मान्यता प्रक्रिया के संबंध में एनसीवीईटी के साथ सभी संचार के लिए नोडल संपर्क।

घ. पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से सशक्त एनसीवीईटी में मान्यता प्रक्रिया के संबंध में कंसोर्टियम के प्रतिनिधि

v. पुरस्कार देने वाली संस्था/मूल्यांकन एजेंसी के रूप में मान्यता के लिए संघ के आवेदन पर विस्तृत प्रक्रियाओं और समय-सीमा के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि "पुरस्कार देने वाले निकायों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश" और "मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश" में उल्लिखित है। एक बार मान्यता प्राप्त एक आवेदक इकाई को आशय पत्र (एलओआई) से सम्मानित किया जाएगा। इस तरह के मान्यता प्राप्त निकाय को आशय पत्र (एलओआई) जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर इस दस्तावेज़ के पैरा 1 घ में उल्लिखित एक एसपीवी (स्पेशल पर्पस व्हीकल) बनाना होगा और संबंधित दस्तावेज़ जमा करना होगा जिसमें निगमन का प्रमाण पत्र, एसोसिएशन का ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख शामिल हैं। एबी के मामले में, निकाय को इस समय सीमा के भीतर यानि एलओआई जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर योग्यता/ योग्यताओं को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना होगा।

घ. विशेष प्रयोजन वाहन:

एबी/ए के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कंसोर्टियम पार्टनर्स भारतीय कंपनी अधिनियम 1956/कंपनी अधिनियम, 2013 ("एसपीवी") के तहत एक उपयुक्त विशेष प्रयोजन वाहन बनाएंगे। हालांकि वे मान्यता की अवधि के दौरान एसपीवी की इक्विटी का 100% सीधे तौर पर धारण करेंगे।

ड. संरचना:

i. शुरू में कंसोर्टियम में सदस्यों की संख्या और फिर एसपीवी को 5 (पांच) तक सीमित किया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से एसपीवी की पेड अप और सब्सक्राइब्ड इक्विटी का कम से कम [10% (दस प्रतिशत)] रखता है।

ii. एनसीवीईटी द्वारा पूर्व-अनुमोदित होने के लिए कंसोर्टियम / एसपीवी की संरचना में कोई भी परिवर्तन।

iii. किसी विशेष कंसोर्टियम और उसके बाद गठित एसपीवी का सदस्य मान्यता के लिए आवेदन करने वाले किसी अन्य कंसोर्टियम या एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त एसपीवी का सदस्य नहीं हो सकता है। साथ ही ऐसे सदस्य एबी/ए के रूप में मान्यता के लिए स्वतंत्र रूप से आवेदन नहीं कर सकते हैं।

iv. एक कंसोर्टियम के रूप में मौजूदा समझौते के तहत आवेदक इकाई एक निजी इकाई, सरकार के स्वामित्व वाली इकाई या उनमें से कोई भी संयोजन हो सकती है।

च. कार्यकाल:

एनसीवीईटी दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रारंभिक मान्यता तीन साल की अवधि के लिए दी जाएगी और दो साल के लिए फास्ट ट्रैक नवीनीकरण का प्रावधान होगा।

जैसा कि पहले बताया गया है, कंसोर्टियम का कार्यकाल एबी/ए के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से शुरू होगा जैसा कि दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है।

छ. हितों का टकराव:

संघ के रूप में आवेदन करने वाली संस्थाओं में हितों का कोई टकराव ("हितों का टकराव") नहीं होगा जो एबी/ए के रूप में उनकी मान्यता को प्रभावित करता हो। हितों के टकराव वाली पाए जाने वाली संस्थाओं को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। संस्थाओं को हितों का टकराव माना जाएगा यदि:

- i. एक कंसोर्टियम/एसपीवी, इसके सदस्य/सदस्यों के पास अन्य मान्यता प्राप्त एबी/ए या एनसीवीईटी मान्यता के लिए आवेदन करने वाली किसी भी संस्था, इसके सदस्य या सहयोगी में सामान्य नियंत्रक शेयरधारक या अन्य स्वामित्व हित हैं; या
- ii. ऐसे कंसोर्टियम/एसपीवी का एक घटक दूसरे कंसोर्टियम/एसपीवी का भी एक घटक है; या
- iii. ऐसा संघ/एसपीवी, या उसके किसी सदस्य/सदस्यों ने किसी अन्य एबी/ए/संघ, या उसके किसी सदस्य/से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सब्सिडी, अनुदान, रियायती ऋण या अधीनस्थ ऋण प्राप्त किया है या प्राप्त किया है या ऐसी कोई सब्सिडी प्रदान की है, किसी अन्य एबी/ए/संघ या उसके किसी सदस्य को अनुदान, रियायती ऋण या अधीनस्थ ऋण;

ज. प्रमाणन: प्रमाण पत्र एसपीवी के नाम और लोगो पर और एनसीवीईटी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रमाणपत्र टेम्पलेट्स और दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किए जाएंगे।

झ. कंसोर्टियम के भागीदारों द्वारा कमाई और अनुभव साझा करना:

एबी/ए के रूप में कार्य करते हुए कंसोर्टियम द्वारा अर्जित अनुभव को एसपीवी के इक्विटी शेयरहोल्डिंग पैटर्न में उस तारीख को साझा किया जाएगा जब अनुभव की गणना की जा रही है। ऐसे अनुभव प्रमाणपत्रों की एनसीवीईटी द्वारा पुष्टि की जाएगी। शुरू में आवेदन के दौरान कंसोर्टियम समझौते में इक्विटी/शेयरहोल्डिंग पैटर्न दोनों का उल्लेख होना चाहिए और बाद में एसपीवी दस्तावेजों में परिलक्षित होना चाहिए। इसमें कोई भी परिवर्तन एनसीवीईटी द्वारा पूर्व-अनुमोदित होगा।

ट. काली सूची में डालना/छोड़ना:

- i. कोई भी संस्था जिसे केंद्र/राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा नियंत्रित किसी भी संस्था को किसी परियोजना/योजना/कार्यक्रम में भाग लेने से वर्जित कर दिया गया है, और आवेदन जमा करने की तिथि के अनुसार प्रतिबंध मौजूद है, व्यक्तिगत रूप से या संघ के सदस्य के रूप में पात्र नहीं होगा।

ii. किसी भी कंसोर्टियम सदस्य या सहयोगी को, पिछले 3 (तीन) वर्षों में, किसी भी अनुबंध पर प्रदर्शन करने में विफल नहीं होना चाहिए, जैसा कि एक मध्यस्थ या न्यायिक प्राधिकरण द्वारा दंड लगाने या कंसोर्टियम सदस्य सहयोगी, जैसा भी मामला हो, के खिलाफ न्यायिक घोषणा या मध्यस्थता पुरस्कार द्वारा प्रमाणित है। न ही किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा किसी परियोजना या अनुबंध से निष्कासित किया गया है और न ही ऐसे कंसोर्टियम सदस्य या सहयोगी द्वारा उल्लंघन के लिए किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा कोई अनुबंध समाप्त किया गया है।

iii. कोई भी संस्था एबी/एए/संघ के सदस्य के रूप में मान्यता के लिए एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगी। व्यक्तिगत रूप से या कंसोर्टियम के सदस्य के रूप में आवेदन करने वाली संस्था व्यक्तिगत रूप से या किसी कंसोर्टियम के सदस्य के रूप में, जैसा भी मामला हो, अन्य आवेदन जमा करने की हकदार नहीं होगी।

iv. उपरोक्त बिंदु I (ii और iii) के संबंध में स्व-प्रमाणन / वचनबद्धता एक संघ के सभी सदस्यों द्वारा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

उपर उल्लिखित प्रावधानों के अलावा एबी/एए की मान्यता और विनियमन के लिए दिशा-निर्देशों के अन्य सभी प्रावधान जैसे समयसीमा, प्रक्रिया, प्रारूप आदि कंसोर्टियम के रूप में आवेदन करने वाली संस्थाओं पर लागू होंगे।